

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-247/2026

उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या-02/2026

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. पंकज यादव | उम्र करीब 49 वर्ष पिता रामकिशुन यादव |
| 2. सौरव कुमार | उम्र करीब 20 वर्ष पिता पंकज यादव |
| 3. रामकिशुन यादव उर्फ सुता यादव | उम्र करीब 75 वर्ष पिता स्व० पारो यादव |

(सभी साकिन -आनन्दपुर, वार्ड नं.-06, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा)

.....अभियुक्त।

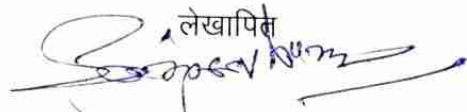
बनाम

बिहार सरकारविपक्षी।

12-06-2026

आवेदक अभियुक्त **पंकज यादव, सौरव कुमार एवं रामकिशुन यादव उर्फ सुता यादव** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज एक आवेदन दाखिल किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित किया गया।

दोनों पक्षों को सुना। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन-पत्र वापस लेने का अनुमति प्रदान की जाय। उक्त आवेदन पर विद्वान लोक अभियोजक द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन सं.-247/2026 अभियुक्त की ओर से दिये गये वापसी आवेदन के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित्त


(संजीव कुमार-II)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम
सह -स्पेशल जज, मधेपुरा।